

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर


प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मुरादअली पुत्र इस्माईल जाति मुसलमान निवासी भीलों का तला (बीसासर) तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. हाजी नवाब पुत्र महामद 2. हासम पुत्र हाजी नवाब 3. रजाक पुत्र खारम 4. खादम पुत्र माहमुद 5. खेर मोहम्मद पुत्र कुतुब 6. सुमार पुत्र अरबाब 7. वसाया पुत्र अरबाब 8. खाना पुत्र मिया जातियान मुसलमान निवासी जालीला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 9. गंमरसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति मुसलमान निवासी जालीला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।
राजस्व आवेदन संख्या 94/2022 दिनांक : 30.09.2022

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बीसासर के मौजा भीलों का तला के खेत खसरा संख्या 399/240 रकबा 3.1727 हैक्ट. खसरा संख्या 304 रकबा 2.9542 हैक्ट. किस्म बरानी दोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।


(रामजी भाई कन्नौ) उपाखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

दिनांक 4/10/22

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1975-72
प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी मुरादअली पुत्र इस्माईल।
3. विप्रार्थीगण हाजी नवाब पुत्र महादम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड/धोरीमन्ना।




उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा